

सरकार विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निगमों को भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्र

क्र.सं.	विवरण	आवेदक संस्था द्वारा भरा जाना
1	विभाग/संगठन का नाम	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर
2	प्रार्थी का नाम व पदनाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)	आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर
3	डाक पता, टेलीफोन नं., मोबाईल नं. एवं मेल आई.डी.	1, प्रेम भवन, सहेली मार्ग, उदयपुर-313001 Tel. No. 0294-2526918, 0294-2427004 M- 9414354063 E- Mail : comm.tad@rajasthan.gov.in
4	भूमि आवंटन का उद्देश्य	जोधपुर जिले में जनजाति छात्रावास, बहुउद्देशीय छात्रावास एवं अतिरिक्त आयुक्त (चतुर्थ), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जोधपुर कार्यालय भवन का निर्माण प्रस्तावित है।
5	चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)	5777.70 वर्गमीटर
6	भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	5777.70 वर्गमीटर
7	प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण)	जनजाति विकास विभाग, उदयपुर द्वारा 5777.70 वर्गमीटर भूमि पर जनजाति छात्रावास, बहुउद्देशीय छात्रावास एवं अतिरिक्त आयुक्त (चतुर्थ) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जोधपुर कार्यालय भवन का निर्माण अनुमानित लागत राशि 10.00 करोड से कराया जाना प्रस्तावित है। जनजाति छात्रावास एवं बहुउद्देशीय छात्रावास में आवासरत छात्र-छात्राओं को निवास एवं कोचिंग की सुविधायें विकसित कर उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। इससे जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक स्तर में वृद्धि होगी। छात्रावासों में आवासरत छात्र-छात्राओं को खेल सुविधायें विकसित कर उपलब्ध करवाया जाना भी प्रस्तावित है। साथ ही अतिरिक्त आयुक्त (चतुर्थ) कार्यालय खुलने से जोधपुर संभाग में निवासरत जनजाति समुदाय को विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का समय पर लाभ मिलने में सुविधा होगी।
8	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	
	1. प्रोजेक्ट के बाबत प्रशासनिक निर्णय की प्रति	माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विश्व आदिवासी दिवस दिनांक 9 अगस्त, 2020 को जैसलमेर प्रवास पर की गई घोषणा की अनुपालना में जोधपुर जिला मुख्यालय पर जनजाति छात्रावास,

	(चतुर्थ) कार्यालय का निर्माण किया जाना है।
II. चाही गई भूमि बाबत विभागीय मानक	छात्रावास- 2000 वर्गमीटर बहुउद्देशीय छात्रावास- 2000 वर्गमीटर अतिरिक्त आयुक्त (चतुर्थ) कार्यालय- 1777.70 वर्गमीटर
III. वित्तीय स्वीकृति/बजट प्रावधान का विवरण	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत एवं राज्य मद जनजाति कल्याण निधि अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में बजट प्रावधान किया जा रहा है।
IV. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)	भूमि आवंटन पश्चात् डी.पी.आर. (Detail Project Report) तैयार की जावेगी।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य हैं व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियां आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक- 07.01.2021

स्थान- उदयपुर

नाम व पद-

हस्ताक्षरकर्ता,

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय) I.A.S

आयुक्त

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

उदयपुर

01/1 E